C.NO. 269/2014 रामेश्वरी v/s हेमराज

25/8/15 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व वादी अनुपस्थित। वकील वादी व वादी को शपथ पत्र तलब रूक कर तीन बार आवाज लगवाई गई किन्तु वे अनुपस्थित रहे हैं ना ही उनका कोई प्रतिनिधि उप. हुआ है। अतः वादी का वाद अडिग्न्य Order 9 Rule 3 CPC के तहत अग्रिम हाजरी अग्रिम पेशी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर जाबता करें।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)